प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 18.11.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

जनपद खीरी में सड़क सुरक्षा यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत की गई कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के अंतर्गत बिना सीट बेल्ट, काली फिल्म, तीन सवारी, बिना हेलमेट, के वाहन चलाने पर रामापुर, सैधरीबाईपास, पंडित दीनदयाल चौराहा पर यातायात पुलिस संयुक्त रूप से एआरटीओ श्री रमेश कुमार चौबे के साथ प्रभारी यातायात निर्मलजीत यादव, टीएसआई संजीव तोमर, आरक्षी यातायात बीवन राज, पंकज वर्मा, सत्यप्रकाश द्वारा सघन चेकिंग की गई एवं यातायात नियमों के बारे में पंपलेट देकर जागरूक किया गया एवं यातायात नियमों के पालन करने हेतु बताया गया कि आए दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी ना होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन ना करना है दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर

वाहन को निर्धारित गति में चलाएं, नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें, स्टंट बाइकिंग से बचे, काली फिल्म, मॉडिफाई साइलेंसर, हूटर, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग ना करें, गलत दिशा में ना चले इस तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे। साथ ही रोड के किनारे अपने वाहन आदि ना खड़ा करें, ट्रैक्टर ट्रॉली, लोडर पिकअप पर यात्रा न करें। साथ ही आम जनमानस को म्यूजिक के माध्यम से एवं पंपलेट देकर यातायात नियमों का पालन करने के लिए अपील की गई।

यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों एवं वाहनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कुल 146 वाहनों का चालान व 02 वाहन सीज किए गए हैं।

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा, 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त जुबराती पुत्र सत्तार को अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के द्वारा चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी के अभियान के अनुपालन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी निघासन महोदय के कुशल दिशा निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर नौरंगाबाद रोड़ पर स्थित मुख्तार सिंह के बाग के पास बहद कस्बा सिंगाही जनपद खीरी से मु0अ0सं0 306/2022 धारा 34/147/148/149/307/353/332/342/323/504/272 IPC व 60(2) EX ACT के 01 नफर नामित वांछित अभियुक्त जुबराती पुत्र सत्तार नि0 ग्राम बथुआ टांडा जनपद खीरी को 01 अदद अवैध देशी तंमचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंगाही पर मु0अ0सं0 319/2022 धारा 3/25 Arms Act पंजीकृत कर गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये वास्ते प्राप्त करने रिमाण्ड माननीय न्यायालय सदर लखीमपुर खीरी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम

1. जुबराती पुत्र सत्तार निवासी ग्राम बथुआ टाण्डा थाना सिंगाही जनपद खीरी उम्र करीब 40 वर्ष ।

<u>अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग</u>
1.मु0अ0सं0 306/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

<u>अभियुक्त जुबराती पुत्र सत्तार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास</u>
1.मु0अ0सं0 306/2022 धारा 34/147/148/149/307/353/332/342/323/504/272 IPC व 60(2) EX ACT थाना सिंगाही खीरी ।
2.मु0अ0सं0 181/2022 धारा 3/25 Arms Act थाना सिंगाही खीरी ।
3.मु0अ0सं0 183/2017 धारा 5/25 Arms Act थाना सिंगाही खीरी ।
4.मु0अ0सं0 177/2017 धारा 307/427 IPC थाना सिंगाही खीरी ।
5.मु0अ0सं0 209/2015 धारा 147/148/149/323/352/504/506 IPC थाना सिंगाही खीरी ।
6.मु0अ0सं0 190/2015 धारा 3/25 Arms Act थाना सिंगाही खीरी ।
7.मु0अ0सं0 226/2003 धारा 352/452/504/506/427 IPC थाना सिंगाही खीरी ।
8.मु0अ0सं0 109/2003 धारा 323/324/504/506 IPC थाना सिंगाही खीरी ।
9.मु0अ0सं0 83/2001 धारा 3/25 Arms Act थाना सिंगाही खीरी ।

<u>गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम</u>
1.उ0नि0 श्री मन्जीत सिंह तोमर थाना सिंगाही खीरी
2.हे0का0 रामभवन थाना सिंगाही खीरी
3.का0 दुष्यन्त यादव थाना सिंगाही खीरी

<u>थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 17.11.22 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद नि0 गांधीनगर थाना हैदराबाद जनपद खीरी को 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना हैदराबाद पर मु0अ0सं0 472/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा गया।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1. थाना पसगवां पुलिस द्वारा, अ0सं0 1322/20 धारा 60(2) आब0 अधि0 में वारण्टी अभियुक्त राम निवास पुत्र लालाराम नि0 दूल्हापुर थाना पसगवां जनपद खीरी तथा अ0सं0 379/21 धारा 60(2) आब0 अधि0 में वारण्टी अभियुक्त बबली पुत्र राजाराम नि0 जमुआ थाना पसगवां जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 104 लीटर अवैध शराब बरामद कर 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **104 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **01 शराब भट्टी** बरामद कर **09 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **09 अभियोग** पंजीकृत किए गए।